R.M.M. Law College, Saharsa
Nareshji Anand
L.L.B. Part Ist
Paper – IInd
Constitutional Law

समता का अधिकार

अनुच्छेद 14 से 18 द्वारा संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 में समता का सामान्य नियम दिया जाता है और व्यक्तियों के बीच विभेद को वर्जित करता है। संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित समता का आदर्श निहित है (अनुच्छेद 14)। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक नियोजन के मामले में अवसर की समानता की गारन्टी करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन करता है।

(क) विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार :—

"विधि के समक्ष समता" वाक्यांश ब्रिटिश संविधान से लिया गया है जिसे प्रो० डायसी के अनुसार 'विधि शासन' कहते हैं। दूसरा वाक्यांश अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इन दोनों वाक्यों का उद्देश्य

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित स्तर की समानता की स्थापना करना है।

वैसे तो यदि देखा जाय तो दोनों वाक्यों में समानता है किन्तु जहाँ तक अर्थ का प्रश्न है, दोनों में कुछ अंतर है, "विधि के समक्ष समता" एक नकारात्मक वाक्यांश है जिसका तात्पर्य है, "समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ विधि द्वारा दिये गये विशेषाधिकारों तथा अधिरोपित कर्तव्यों दोनों के मामले में समान व्यवहार किया जायेगा और प्रत्येक व्यक्ति देश की साधारण विधि के आधीन होगी।" विधि का समान संरक्षण' वाक्यांश समानता का स्वीकारात्मक रूप है जिसका तात्पर्य "समान परिस्थिति वाले व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना" अर्थात समान कानूनों को लागू करना। किन्तु यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो दोनों वाक्यांशों में एक ही उद्देश्य निहित है और वह है— समान न्याय। इस प्रकार वस्तुतः दोनों पदावली का अर्थ एक ही है।

'विधि के समक्ष समता' का तात्पर्य व्यक्तियों के बीच पूर्ण समानता से नहीं है जो व्यवहारतः संभव भी नहीं है। इसका तात्पर्य केवल यह है कि जन्म मूल वंश आदि के आधार पर व्यक्तियों के बीच विशेषाधिकार को प्रदान करने और कर्तव्यों के अधिरोपण में कोई विभेद नहीं किया जायेगा तथा प्रत्येक व्यक्ति देश के साधारण विधि के आधीन होगी जैसा कि डॉ० जेनिंग्स ने कहा है— "विधि के समक्ष

समता का तात्पर्य है कि समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के लिए समान विधि होनी चाहिए और समान रूप से लागू की जानी चाहिए तथा एक तरह के व्यक्तियों के साथ एक तरह का व्यवहार करना चाहिए। समानता के लिए किसी पर मुकदमा करने या किसी के द्वारा मुकदमा दायर किये जाने तथा किसी पर अभियोजन चलाने या किसी के द्वारा अभियोजित किये जाने का अधिकार पूर्ण आयु के सभी व्यक्तियों को समान रूप से दिया जाना चाहिए और यह बिना किसी धर्म, मूलवंश, सम्पत्ति, सामाजिक स्तर या राजनीतिक भेदभाव के होना चाहिए।"

"विधि के समान संरक्षण" का अधिकार अमेरिकन संविधान के संशोधन (14वें) द्वारा दिये गये अधिकार के समान ही है। इसका अर्थ है समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों पर समान विधियों के अन्वित रखना या समान रूप से लागू करना; चाहे वे विशेषाधिकार या दायित्व हों। इस परिभाषा का निर्देश है कि समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों में कोई विभेद नहीं करना चाहिए और उन पर एक ही विधि लागू करना चाहिए, अर्थात् विधान की विषय वस्तु समान है तो विधि भी एक तरह की होनी चाहिए। इस प्रकार नियम यह है कि समानों के साथ समान विधि लागू करना चाहिए, न कि असमानों के साथ समान विधि लागू करना चाहिए।

Scanned with CamScanner